कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ विधि निर्माण किए है। कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम 1952 इस संबंध में एक आवश्यक अधिनियम है। अधिनियम, अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लेखित उद्योगों में बीस अथवा अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले कारखानों अथवा स्थापनाओं में अनिवार्य भविष्य निधि, पेंशन तथा जमा समायोजित बीमा का प्रावधान करता है। भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से अधिनियम को नियंत्रत करती है।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गए हैं:

- क.भ.नि. योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को शामिल करने की वेतन सीमा ₹6500 थी जो जून 2001 से चली आ रही है।

(पैराग्राफ 2.1)

- केन्द्र सरकार से अंशदानों की प्राप्ति में संगत कमियां थी।

(पैराग्राफ 2.1.2)

- प्रशासनिक प्रभारों, आदि के माध्यम से संग्रहित क.भ.नि.सं. की आय योजनाओं को चलाने हेतु इसके व्यय से अधिक रही है।

(पैराग्राफ 2.1.3)

- 'ब्याज उंचत लेखे' में शेष संगत रूप से मार्च 2007 में ₹ 12445.29 करोड़ से मार्च 2011 में ₹ 22461.15 करोड़ तक बढ़ा।

(पैराग्राफ 2.3)

- क.भ.नि.सं. ने निवेशों के निर्धारित प्रतिमानों का अनुपालन नहीं किया था।

(पैराग्राफ 2.5)

- कर्मचारी पेंशन निधि का मूल्यांकन समय पर नहीं किया जा रहा है, न ही रिपोर्ट समयबद्ध पद्धति में प्राप्त हुई हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों पर कार्रवाई में काफी विलम्ब है।

(पैराग्राफ 2.6)

- क.भ.नि.सं. अपनी योजनाओं के स्वैच्छिक आवृतन के प्रति अधिक प्रोत्साहक नहीं था। स्थापनाओं का निरीक्षण निर्धारित लक्ष्यों से कम था, जो स्थापनाओं पर अपर्याप्त नियंत्रणों का कारण बना।

(पैराग्राफ 3.3 तथा 3.4)

- 31 मार्च 2012 को पांच राज्यों के चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का में 20974 स्थापनाओं से क.भ.नि. बकाया के कारण ₹ 313.20 करोड़ की कुल राशि वसूलीनीय थी।

(पैराग्राफ 4.3)

- 2006-07 से 2011-12 के दौरान गैर-छुट प्राप्त स्थापनाओं से क्षतियों की वसूली के प्रति बकाया ₹ 151.78 करोड़ से ₹ 265.75 करोड़ तक बढ़ा।

(पैराग्राफ 4.5)

- छूटप्राप्त स्थापनाओं के नियाक्ताओं ने अपने संबंधित ट्रस्टी बोर्डों को ₹ 129.20 करोड़ जमा नहीं किए थे। 249 छूटप्राप्त स्थापनाओं के ट्र.बो. द्वारा ₹ 299.78 करोड़ की राशि का निवेश नहीं किया गया था जो छूट के प्रावधानों के उल्लंघन में था।

(पैराग्राफ 4.6.1 तथा 4.6.2)

- 70,000 से अधिक अंशदाताओं के खातों में कुल ₹ 45.06 करोड़ का नकारात्मक शेष था, जो उपलब्ध शेष से अधिक आहरण का सूचक है। अप्राधिकृत आहरण की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता।

(पैराग्राफ 5.2)

- निष्क्रिय/अदावत जमा खातो में शेष 2006-12 के दौरान ₹ 332.14 करोड़ से ₹ 2948.11 करोड़ तक बढ़ा। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय खातों की संख्या 2006-07 में 25,12,793 से 2011-12 में 73,00,262 तक बढ़ी।

(पैराग्राफ 5.4)

अनुशंसाओं का सार

- *वेतन सीमा को नियमित अन्तराल पर उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।*
- *केन्द्र सरकार को समय पर क.भ.नि.सं. को उनका अंशदान प्रेषित करना चाहिए।*
- *क.भ.नि.सं. उपयुक्त रूप से अपने प्रशासनिक प्रभारों का संशोधन करें।*
- *क.भ.नि.सं., सा.वि.नि. में प्रावधानों के अनुसार उचित सावधानी सहित बजट अनुमान तैयार करें। मंत्रालय संस्वीकृति प्रदान करने से पहले पर्याप्त रूप से बजट प्रस्तावों की संवीक्षा करें।*
- *क.भ.नि.सं. को अपने अंशदाताओं को ब्याज भुगतान के साथ अपनी आय का सावधानी से मिलान करना चाहिए।*
- *सरकार को लम्बित मूल्य निर्धारक की रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए तथा क.पें.यों खातों पर इसका प्रभाव निर्धारण करना चाहिए तथा आवश्यक संशोधन करना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया प्रतिवर्ष नियमित तथा सामयिक आधार पर की जानी चाहिए तथा उसके प्रभाव को प्रकट करना चाहिए।*
- *आंकड़ों का समाधान करने हेतु मंत्रालय उपयुक्त कार्रवाई करें।*
- *समितियों की न्यूनतम बैठक निर्धारित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए।*
- *क.भ.नि.सं. को लक्ष्यों की गहन मानीटरिंग तथा स्थापनाओं का नियमित सर्वेक्षण तथा निरीक्षण करने हेतु अनुपालना को सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे स्वैच्छिक आवृतन की इच्छा करने वाली स्थापनाओं का स्वागत करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिसूचनाएं समयबद्ध प्रकार से जारी की गई हैं।*
- *क.भ.नि.सं. को डी.सी.बी.आर. का समाविष्ट अद्यतन सुनिश्चित करना चाहिए, उपयुक्त चूककर्ता सूची तैयार करनी चाहिए तथा वसूलियां प्रारम्भ करनी चाहिए।*
- *क.भ.नि.सं., भा.स्टे.बैं. द्वारा इसके जमाओं के सामयिक प्रेषण को मॉनीटर करें।*

- *क.भ.नि.सं. को, यह सुनिश्चित करने हेतु कि निष्क्रिय खातों की संख्या न्यूनतम है, स्थिर मानीटरिंग तथा नियंत्रण क्रियाविधि हेतु एक प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए।*
- *अंशदाताओं के खातों का अद्यतन नियमित आधार पर किया जाना चाहिए।*